जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर समस्या के समाधान का एक सशक्त प्रयास

प्राप्तिः 13.03.2021
स्वीकृतः 20.03.2021

पुष्पा कुमारी
सहायक प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग
जे.वी.एम. जी.आर.आर. महाविद्यालय, चरखी दादरी
Email: pushpayadav9999@gmail.com

सारांश

''कश्मीर भारत का ताज था और रहेगा। सरकार कश्मीर को विकास के नए रास्ते पर ले जाएगी। यहाँ आंतकवाद के खम्बे और विकास की राह में अनुच्छेद 370 सबसे बड़ी बाधा थी।''

. . . अमित शाह।

भारत 15 अगस्त, 1947को आजाद हुआ था। आजादी से पहले भारत 565 रियासतों में बंटा हुआ था तथा पटेल के अथक प्रयासों के बावजूद 562 रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़ रियासतों को भारत में नहीं मिलाया जा सका। तत्कालीन जम्मू कश्मीर के शासक महाराज हरिसिंह स्वतंत्र रहने के इच्छुक थे तथा भारत व पाकिस्तान से यथास्थिति समझौता करना चाह रहे थे लेकिन परिस्थितियों को करवटे लेते देर नहीं लगी और 1948 में पाकिस्तान के कुछ कबाईलियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तथा जम्मू कश्मीर के अधिकतर भाग पर पाकिस्तान का कब्जा स्थापित हो गया। अब राजा हरिसिंह के पास अपनी रियासत बचाने का एक ही विकल्प था। उन्होंने भारत से मदद माँगी तथा बदले में उन्होंने भारत में अपनी रियासत के विलय को स्वीकार कर लिया।[1] 01 अक्तूबर, 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना तथा इसमें एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था, जिसने जम्मू कश्मीर को छूट प्रदान की थी, ताकि वह अपने संविधान का मसौदा तैयार कर सके और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबिन्धित कर सके। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद 1954 में अनुच्छेद 35ए के माध्यम से जम्मू कश्मीर की स्वायता को और अधिक मजबूत बना दिया। एक तरफ भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर को स्वायता प्रदान करने के लिए जोड़ा गया था किन्तु दूसरी तरफ यह कश्मीरियों की भलाई करने के लिए विफल रहा तथा इसी अलगाव के चलते कश्मीर लंबे समय से उग्रवाद और हिंसा से पीड़ित रहा है। इसी उग्रवाद तथा हिसांवादी विचारधारा ने कश्मीर और अन्य राष्ट्रों के बीच खाई बढ़ाने का कार्य किया तथा दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से भारत की सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ और जटिल होती चली गई। अतः इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए वर्तमान मोदी सरकार ने एक दृढ़ साहसी एवं दूरदर्शितापूर्ण कदम

उठाते हुए जम्मू कश्मीर को स्वायता जैसा विशेष दर्जा दिलाने वाले अनुच्छेद 370 को न केवल समाप्त कर दिया बल्कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करने के लिए जम्मू कश्मीर पुर्नगठन विधेयक, 2019 भी प्रस्तुत कर दिया गया।

मुख्य शब्दः *संविधान, पुर्नगठन, अनुच्छेद, विधेयक।*

प्रस्तावना

शोध पत्र के उद्देश्य

- अनुच्छेद 370 लागू करने के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करना।
- अनुच्छेद 370 की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना।
- अनुच्छेद 370 की समाप्ति तथा वर्तमान विधेयक जम्मू कश्मीर पुर्नगठन विधेयक, 2019 का अध्ययन करना।

शोध पत्र प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक तथा तुलनात्मक पद्वति का प्रयोग किया गया है ।

शोध पत्र का महत्त्व

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 निश्चित रूप से भारत की एकता एवं अखण्डता के साथ–साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था में सुदृढ़ आधार प्रदान करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता के मूल सिद्धान्त एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की समानता के साथ–साथ मूल अधिकारों के समान प्राप्ति मे व्यवहारिक रूप देने में सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त यह विधेयक निश्चित रूप से प्रशासनिक, राजनीतिक एवं विकास के दृष्टिकोण से आगामी समय में नए आयाम स्थापित करेगा जिसके फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में पिछड़ा यह भाग शिक्षा, आधारभूत संरचना उद्योग, रोजगार आदि की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को संशोधित करते हुए विकास की एक नई कहानी लिखेगा।

राज्यों के गठन संबंधी संवैधानिक प्रावधान

यहां हम भारत के संविधान के अन्तर्गत राज्यों के पुर्नगठन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट करेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार के द्वारा भारत की एकता व अखण्डता के साथ–साथ संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा अपनी शक्तियों का कहां तक उचित प्रयोग किया गया है।

अनुच्छेद–2 : संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।

अनुच्छेद–3 : संसद विधि द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही कर सकती है–

क) किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों का या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ

मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी।

ख) किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी।

ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी।

घ) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी।

ड़) किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी।[2]

अनुच्छेद–4

1) अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि के लिए ऐसे उपबंध अन्तर्विष्ट होगें जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो तथा ऐसे अनुपूरक, आनुांगीक और पारिणामिक उपबंध भी (जिनके अन्तर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य व राज्यों के संसद में और विधानमण्डल या विधानमण्डलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध शामिल है) अन्तर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे ।

2) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।[3]

अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष स्थिति का दर्जा

भारत को आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त, 1947 को जम्मू और कश्मीर भी आजाद हो गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय राजा हरिसिंह यहाँ के शासक थे जो अपनी रियासत को स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे लेकिन 20 अक्तूबर, 1947 को पाकिस्तान समर्थित आजाद कश्मीर सेना ने पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और काफी हिस्सा हथिया लिया था। इन परिस्थितियों में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू–कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल की सहमति से जवाहर लाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्तूबर, 1947 को भारत के साथ जम्मू और कश्मीर की अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और **इन्सटरूमैन्ट ऑफ ऐक्शन ऑफ जम्मू और कश्मीर टू इण्डिया** पर अपने हस्ताक्षर कर दिये।[4] इस नये समझौते के तहत जम्मू और कश्मीर ने भारत के साथ सिर्फ तीन विषयों : रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया था। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार ने सहमति दर्ज करायी कि इस राज्य के लोग अपने स्वयं की संविधान सभा के माध्यम से राज्य के आन्तरिक संविधान का निर्माण करेगें और जब तक राज्य की संविधान सभा शासन व्यवस्था और अधिकार क्षेत्र की सीमा का निर्धारण नहीं कर लेती है तब तक भारत का संविधान केवल राज्य के बारे में एक अंतरिम व्यवस्था प्रदान कर सकता है। 29 मई, 1949 की इस प्रतिबद्धता के साथ अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान सभा से पारित करवाया गया और 17 अक्तूबर, 1949 को अनुच्छेद 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था।[5] जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में ये प्रावधान केवल अस्थायी है। इन प्रावधानों को 19 नवम्बर, 1952 से लागू किया गया था। अतः भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 के अधीन जम्मू–कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति के अन्तर्गत प्राप्त स्थितियों को निम्नलिखित बिन्दुओं के रूप में दर्शाया जा सकता है–

- धारा 370 की मुख्य विशेषता यही हे कि जम्मू कश्मीर के संबंध में रक्षा, विदेशी मामले और संचार के साथ–साथ केन्द्रीय संसद, केन्द्रीय तथा सम्मिलित सूचियों के संदर्भ में राज्य सहमति पर ही कानून बना सकती थी। इससे जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष स्तर मिल जाता था। जहाँ एक ओर केन्द्रीय संसद को अन्य राज्यों के संदर्भ में कानून बनाने के लिए निर्बाध अधिकार है, वहीं जम्मू कश्मीर के लिए कानून सरकार की सहमति पर ही बनाया जा सकता था।
- जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य हैं किन्तु उसका नाम, क्षेत्रफल और सीमा को केन्द्र सरकार तभी बदल सकती है जब जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार इसकी अनुमति दें ।
- अनुच्छेद 370 के आधार पर जम्मू कश्मीर का अपना संविधान और ध्वज था और इसका प्रशासन इसी संविधान के अनुसार चलाया जाता था तथा जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया था, दूसरी तरफ भारतीय संघ व्यवस्था में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है।
- जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को यहाँ जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने, संस्थानों में दाखिला लेने का अधिकार नहीं था।
- जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था। भारत की संसद यहां के संबंध में सीमित दायरे में ही कानून बना सकती थी। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल की नियुक्ति होती थी।
- धारा 370 के अन्तर्गत यदि कोई कश्मीरी महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति के साथ शादी करती थी तो उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी, लेकिन यदि वह किसी पाकिस्तान युवक से शादी कर लेती थी तो उसकी कश्मीरी नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। साथ में उसके पति को भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी।
- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जम्मू कश्मीर राज्य में मान्य नहीं होते थे।
- सामान्यतः ऐसा होता है कि जब कोई भारतीय नागरिक भारत के किसी राज्य को छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती थी, लेकिन धारा 370 के अन्तर्गत जब कोई जम्मू कश्मीर का निवासी पाकिस्तान चला जाता था और जब कभी जम्मू कश्मीर वापिस आ जाता था तो उसको दोबारा भारत का नागरिक मान लिया जाने का प्रावधान धारा 370 में किया गया था।
- जम्मू कश्मीर के व्यक्तियों के अलावा अन्य किसी भी भारतीय नागरिक को वहां पर चुनाव लड़ने और वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं था।
- पूरे देश में सम्पत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत देश के दूसरे राज्यों के नागरिक इस राज्य में किसी

भी तरीके से सम्पत्ति नहीं खरीद सकते थे अर्थात् जम्मू कश्मीर में सम्पत्ति का मूलरूप अधिकार अभी तक लागू था।

- भारतीय संविधान के अन्तर्गत भाग–4 में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग–4ए में शामिल मूल कर्त्तव्य इस राज्य पर लागू नहीं होते थे तथा जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीयगान, राष्ट्रीय ध्वज आदि का अपमान अपराध की श्रेणी में नहीं आता था।
- यदि भारत में आपातकाल की स्थिति पैदा होने पर जब आपातकाल की घोषणा की जाती थी तो इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर पर नहीं पड़ता था, हालांकि जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही इसे राज्य में लागू किया जा सकता था।
- भारत के संविधान में किसी प्रकार का संशोधन जम्मू कश्मीर पर धारा 370 के कारण स्वयं लागू नहीं होते थे जब तक कि इसे राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा लागू करने की अनुमति नहीं दी जाती थी।
- अनुच्छेद 35ए को 14 मई, 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से जोड़ा गया था। यह आदेश अनुच्छेद 370 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य विधानमण्डल को 'स्थायी' निवासी परिभाषित करने और उन नागरिक को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था। धारा 370 के खत्म होते ही यह अधिनियम भी स्वतः समाप्त हो गया।[6]

उपरोक्त प्रदान किए गए तथ्यों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक राज्य तो था, लेकिन इस राज्य के लोगों को विशेष अधिकार मिले हुए थे जोकि भारत के अन्य राज्यों से अलग थे। इसी अलगाववादी प्रणाली को मिटाने के लिए मोदी सरकार ने धारा 370 खत्म करके 05 अगस्त, 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पास कर एक नया इतिहास रचा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत जम्मू कश्मीर को मिले हुए सारे विशेषाधिकार अब खत्म हो गये हैं तथा जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य बन गया है। अतः जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम–2019 की चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे।

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 तथा परिवर्तित स्थिति

देश की आजादी की चाह में जिन राष्ट्र भक्तों ने हँसते–हँसते अपने प्राणों की आहुति दी। उनके अखण्ड भारत के सपनों को जम्मू कश्मीर को लेकर बनाए गए ये विशेष प्रावधान मुँह चिढाते रहे है। ये विशेष प्रावधान देश की अखण्डता की राह में बड़ी बाधा साबित हो रहे थे। देश के मानचित्र में यह उसकी सीमा रेखा के भीतर भले ही दिखाता रहा हो, लेकिन आन्तरिक नियम कानूनों को लेकर शेष भारत से यह कटा रहा। तमाम उपबंधों के बनाए रखने के लिए कई स्थानीय राजनीतिक दल दबाव बनाने में जुटे थे। परन्तु वर्तमान केन्द्र सरकार ने इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 पारित कर दिया है, जिसका विवरण इस प्रकार है–

अनुच्छेद 370 (3) राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा किसी भी वक्त निष्क्रिय करने का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर सकता है कि यह धारा निष्क्रिय होगी या किसी अपवाद और संशोधन के साथ सक्रिय होगी। हालांकि धारा 370 को खत्म करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है लेकिन अनुच्छेद 370 (3) का इस्तेमाल कर सरकार ने बड़ी चतुराई से संशोधन मार्ग को दरकिनार कर दिया तथा 5 अगस्त को राज्य सभा तथा 6 अगस्त, 2019 को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर पुर्नगठन विधेयक, 2019 प्रस्तुत किया गया जिसके तहत कश्मीर तथा लद्दाख नामक दो केन्द्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 09 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् अधिनियम बन गया तथा 31 अक्तूबर, 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती पर यह अधिनियम अन्तिम रूप से लागू हो गया। इसी दिन जम्मू कश्मीर राज्य भारत के नए दो केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर (अनुच्छेद 239ए के अनुसार) तथा लद्दाख (अनुच्छेद 239 के अनुसार) के रूप में विधिवत अस्तित्व में आया। 02 नवम्बर, 2019 को दोनो नए केन्द्रशासित प्रदेशों का मानचित्र जारी किया गया।

जम्मू कश्मीर की एक केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में स्थिति

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हटाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केन्द्रशासित प्रदेश बना दिये। जम्मू और कश्मीर का क्षेत्रफल 42241 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है तथा जनसंख्या 1,22,58,433 (2011 की जनगणना) घोषित की गयी है।

वर्तमान में केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू निर्धारित की गई है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया है तथा विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा और विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित की गई है। जिसमें 24 सीटें पाक–अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रखी जाएगी।[8]

- केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अर्न्तगत लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्य सरकार की 4 सीटे निर्धारित की गई हैं।
- वर्तमान में केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले बनाए गए हैं जिनके नाम–अनंतनाग, बांदीपोरा, बारामूला, कुलगाम, बड़गाम, डोडा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड, पुंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, सांबा, शोपियाँ, श्रीनगर, उधमपुर, मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद ।
- केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में पाक अधिकृत दो जिले मुजफ्फराबाद एवं मीरपुर को शामिल किया गया है तथा किश्तवाड़ को जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला बनाया गया है।
- जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा में अगर राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो

राज्यपाल दो महिला सदस्यों को मनोनित कर सकेंगे।

लद्दाख की एक केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में स्थिति

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत लद्दाख का क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार 2,90,492 जनसंख्या निर्धारित की गई है। लद्दाख को चण्डीगढ़ की भांति बगैर विधायिका वाला केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया है। लेह तथा कारगिल नाम दो जिले बनाए गए हैं।[9] पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) को लद्दाख में शामिल किया गया है। लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश में लोकसभा की एक सीट निर्धारित की गई है।

- अनुच्छेद 370 के प्रथम भाग (1) को छोड़कर अन्य सभी भाग समाप्त कर दिये हैं।
- अनुच्छेद 370 समाप्त हो जाने से जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान तथा उसके अलग संविधान एवं ध्वज का प्रावधान अब समाप्त हो गया है ।
- प्रदेश से बाहर के लोगों को वहां जमीन खरीदने, सरकारी नौकरी पाने व संस्थानों में प्रदेश लेने का अधिकार अभी तक नहीं था, यह असमानता अब समाप्त हो गई है।
- किसी अन्य भारतीय राज्य के व्यक्ति से शादी के बाद अब जम्मू कश्मीर की महिला के अधिकारों व नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकता को मिला विशेष अधिकार खत्म होगा।
- अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 तथा अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा तथा अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ भी मिल सकेगा।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भी मान्य होंगे।
- राज्य लोक उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों में काम करने वाले कर्मचारी अगले एक वर्ष तक अपने पदों पर बने रहेगें जब तक उनके विषय में नया निर्णय नहीं लिया जाएगा।
- धारा 370 के उपवाक्य (3) के परन्तुक में वर्णित शब्दावली 'संविधान सभा' को सुधारकर अब उसे विधान सभा कर दिया गया है।
- विधि व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर राज्य–सूची में वर्णित सभी विशयों पर जम्मू कश्मीर की विधान सभा संघीय क्षेत्र के पूरे भू–भाग के लिए अथवा उसके किसी अंश के लिए कानून बना सकती है तथा यदि संसद द्वारा और विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों में यदि कोई विसंगति है तो संसद का कानून माना जाएगा और विधानसभा का कानून निरस्त हो जाएगा ।
- जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सम्पत्तियों और दायित्वों का बंटवारा एक केन्द्रीय समिति के सुझाव के अनुसार एक वर्ष में कर दिया जाएगा।
- दोनो संघीय क्षेत्रों की पुलिस और विधि व्यवस्था केन्द्र के हाथ में होगी।
- संविधान की धारा 239 के अर्न्तगत राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल

की नियुक्ति करेगा।

- जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 में प्रावधान किया गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनो संघीय क्षेत्रों के लिए एक ही उपराज्यपाल होगा। लद्दाख में विधान सभा नहीं होगी, इसलिए वहां केन्द्र उपराज्यपाल की सहायता के लिए परामर्शियों की नियुक्ति करेगा जबकि जम्मू कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में उपराज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री के पद की व्यवस्था भी इस अधिनियम के द्वारा की गई है तथा साथ ही कहा गया है कि उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के सहयोग से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करेगा। उपराज्यपाल ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।
- जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है।

जम्मू कश्मीर के सम्बन्ध में उपर्युक्त साहसिक कादम उठाने से पूर्व भारी सावधानियाँ केन्द्र द्वारा बरती गई थी। प्रदेश में इन्टनेट व संचार सेवा बंद रखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया था। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती व नेशनल कांफ्रेस के नेता उमर अब्दुला को पहले नजरबंद रखा गया था। बाद में उन्हें अब तक गिरफ्तार ही रखा गया है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों–पीडीपी व नैशनल कांफ्रेस आदि ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन बताते हुए इसका प्रबल विरोध किया है वहीं पूरे भारत ने इसे कश्मीर के लिए सही मायने में पूर्व आजादी का दिन करार दिया है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति में कुछ विरोधी दलों का सरकार को सामना भी करना पड़ा है तो दूसरी तरफ शिवसेना, बीजू जनता दल, तेलुगुदेशम, अन्नाद्रमुक, बसपा आदि दलों का समर्थन भी प्राप्त हुआ है।

निष्कर्ष

उपरोक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हो गया तथा जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक दो प्रान्त बना दिए गए हैं। भारतीय संघ का सदस्य होने के बावजूद भी अलग संविधान, अलग ध्वज, अलग कानून, दोहरी नागरिकता से चलने वाला जम्मू कश्मीर अब भारतीय संविधान, विधान निशान और इकहरी नागरिकता के साथ चलेगा। जम्मू कश्मीर कुछ गिने–चुने नेताओं और अलगाववादियों की चपेट से बाहर आएगा तथा कश्मीर अब हर भारतवासी के लिए खुलेगा। अतः जब केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है तो सही मायने में आजादी के मतवालों और शहीदों के अखण्ड भारत का सपना हुआ है। वर्तमान समय में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू और कश्मीर में लगभग 170 केन्द्रीय कानूनों को लागू किया जा रहा है तथा सरकार जम्मू कश्मीर में विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं को लागू कर रही है। अतः इस प्रकार अखण्ड भारत का जो सपना सरदार पटेल ने देखा था, जिसके लिए डॉ0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी वो **एक संविधान एक भारत** का सपना अब सत्य प्रतीत होने लगा है।

संदर्भ ग्रंथ

1 जगमोहन कश्यप, *कश्मीर समस्या और विश्लेषण*, राज्यपाल एण्ड सन्ज प्रकाशन, दिल्ली, 1991, पृ0 **56.**

2 डी.डी.बसु, *भारत का संविधान : एक परिचय,* वाधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 2004, पृ0 **7.**

3 सुभाष कश्यप, *हमारा संविधान,* नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया, नई दिल्ली, 2003, पृ0 **64.**

4 दैनिक जागरण, 06 अगस्त, 2019.

5 जगमोहन कश्यप, उपरोक्त, पृ0 **167.**

6 ज्ञानेश कुदैसिया, *भारत में राज्यों का पुनर्गठन,* राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, 2017, पृ0 **36.**

7 दैनिक भास्कर, 06 अगस्त, 2019.

8 प्रतियोगिता दर्पण, अक्तूबर, 2019, पृ0 **5.**

9 प्रतियोगिता दर्पण, अक्तूबर, 2019, पृ0 **16.**